

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 25/2022

GCMS No. 2022/25

अपीलांट—

बनाम

उत्तरदातागण—

1.पूनमाराम पुत्र बागाराम जाति
राव निवासी मिठिया तला
बायतु पनजी तहसील बायतु
जिला बालोतरा

1. तहसीलदार बायतु
2. भूराराम पुत्र बागाराम
3. दानाराम पुत्र बागाराम
4. हस्ताराम उर्फ हस्तीमल पुत्र बागाराम
जातियान राव (भाट) निवासीयन
सगरामोणी गोदारों की ढाणी बायतु
चिमनजी तहसीलदार बायतु

प्रथम राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश क्रमांक/40 दिनांक 24.11.2010 तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री नरपत पुनड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदातागण की अनु.उपस्थित।




निर्णय

दिनांक :-22.04.2025

अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से यह अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक/40 दिनांक 24.11.2010 तहसीलदार बायतु पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 02 से 04 के अधिवक्तागण अनुपस्थित। अपील इस प्रकार है कि अपीलांट व उत्तरदातागण संख्या 02 से 04 की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नं. 523/490 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा मौजा सगरामोणियों की ढाणी व खसरा नम्बर 810/288 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा खसरा न.816/335 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा मौजा मीठीया तला पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा उक्त भूमि अपीलांटगण के 1/4 हिस्सा व उत्तरदातागण संख्या 02 से 04 का हक 3/4 हिस्सेदार खातेदारी में बनता है बंटवाड़ा अनुसार काबिज है।

उत्तरदातागण संख्या 02 से 04 ने कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत। उत्तरदाता सं 01 तहसीलदार बायतु के समक्ष आवेदन दिनांक 24.11.2010 को प्रस्तुत किया। तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक/40 दिनांक 24.11.2010 तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 02 से 04 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजन करने हेतु पारित किया गया। आदेश अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड से अमलदरामद हुआ। तहसीलदार बायतु द्वारा बंटवाड़ा किया गया था। उक्त बंटवाड़ा से उसके कब्ज काश्त के अनुसार घर, टांको, कब्जा काश्त को बिना प्रभावित करते सही रंग भरवा कर कागजात उत्तरदातागण 02 से 04 ने अपनी सुविधानुसार बंटवाड़ा करवा दिया है।

अतः अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 02 से 04 की ओर से प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि उत्तरदातागण संख्या 02 से 04 की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नं. 523/490 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा मौजा सगरामोणियों की ढाणी व खसरा नम्बर 810/288 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा खसरा न.816/335 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा मौजा मीठीया तला पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बालोतरा के खातेदारान


अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण की संयुक्त भूमि अवस्थित है। सहमती बंटवाड़ा के आवेदन पर समस्त पक्षकारान का हस्ताक्षर करते हुए अपीलांटगण तथा रेस्पोंडेंटगण के आपसी सहमती द्वारा ही उक्त खसरा का आलोच्य बंटवाड़ा करवाया गया है। समस्त पक्षकारान बंटवाड़ा के अनुसार ही अपने कब्जे काशत पर मौके पर अवस्थित हैं। उक्त खसरा का विधिवत रूप आपसी सहमति से वर्ष 2010 को बंटवाड़ा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर, संयुक्त शामिलती कृषि भूमि का कब्जे काशत एवं हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद एवं नक्शे में तरमीम किया गया है। उक्त वादग्रस्त शामिलती भूमि का विभाजन करते समय समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में स्वतंत्र सहमति प्राप्त कर उक्त विभाजन किया गया है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा का आवेदन समस्त पक्षकारान ने स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत किए जाने एवं प्रस्तुत आवेदन पर दर्शाई गई बंटवाड़ा को स्वतंत्र सहमति दिए जाने पर दिनांक 24.11.2010 को विभाजन को राजस्व अभिलेख व नक्शा में तरमीम करने हेतु आदेश किया गया था, किसी भी आराजी का एक बार आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो उसका पुनः बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा पेश की गई अपील झुठा व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारिज योग्य हैं।

अतः हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु के समक्ष सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया है तथा तहसीलदार गिड़ा द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया है। एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन, आधारहीन तथ्यों पर आधारित नहीं होने के साथ साथ मयाद के के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक/40 दिनांक 24.11.2010 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-04-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



amrp
(डॉ गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा